-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 29/30.05.2025 की रात्रि को थाना मटौंध पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि थाना मटौन्ध पुलिस को दौलतपुर-मध्य प्रदेश अन्तर्राज्यीय बार्डर पर गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा व्यक्ति को पकड़कर चेकिंग की गई तो उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चन्द्रजीत यादव उर्फ बउवा पुत्र बैजनाथ यादव निवासी दौलतपुर मजरा दुरेंडी थाना मटौन्ध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 111/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी भूरागढ़
2. कां0 अश्वनी कुमार उपाध्याय
3. कां0 आशूतोष राजपूत